माननीय जेएल गुप्ता जे. **के समक्ष**

श्रीमती. अवता साहा, ------ याचिकाकर्ता।

बनाम

केनरा बैंक और अन्य, ----- प्रतिवादी।

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 14219।

28 जुलाई 1992.

भारत का संविधान, 1950 --- कला। 24, 16 और 226 --- नई नित्य निधि योजना के तहत एजेंट की नियुक्ति करने वाला बैंक ------ ऐसी नियुक्ति के नियम और शर्तें --- जिस तरीके के संबंध में एजेंट बैंक के नियंत्रण और निर्देश के अधीन नहीं है काम करने के लिए --- एजेंट को हर दिन निश्चित समय पर कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है --- क्या ऐसा एजेंट बैंक का कर्मचारी है --- अनुकंपा के आधार पर रोजगार का दावा करने वाले ऐसे एजेंट की विधवा --- क्या ऐसे रोजगार का दावा किया जा सकता है अधिकार का.

यह माना गया कि एजेंट और बैंक के बीच का संबंध स्वामी और नौकर या नियोक्ता और कर्मचारी का नहीं है, बल्कि केवल प्रिंसिपल और एजेंट का है। यह मानना असंभव है कि एजेंट एक कर्मचारी है।

(पैरा 13)

इसके अलावा, यह माना जाता है कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के निर्देशों को सख्ती से समझा जाना चाहिए ताकि अनुच्छेद 16 के उल्लंघन की किसी भी आलोचना से बचा जा सके। ऐसे देश में जहां गरीबी और बेरोजगारी के कारण जमीन मिलती है, यहां तक कि इनाम और रियायत भी दी जानी चाहिए। इस तरह से प्रदान किया गया है कि वे संविधान के अनुच्छेद 16 के उल्लंघन के रूप में आलोचना को आकर्षित नहीं करते हैं। दुर्लभ से दुर्लभ मामले में भी करुणा का आह्वान किया जाना चाहिए। प्रयास केवल यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि परिवार वंशानुगत रूप से जीवित रहने में सक्षम हो और मूल कर्मचारी की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी या आश्रित को उसी या किसी अन्य समकक्ष लागत में स्वचालित रूप से नियोजित किया जाना चाहिए। अन्यथा, मुझे डर है कि अगर किसी रियायत की व्याख्या अधिकार के रूप में की गई तो वह भेदभाव के कृत्य में बदल जाएगी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के क्रोध को आकर्षित करेगी।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अशोक जग्गा।

प्रलय

जवाहर लाल गुप्ता, जे.

(1) याचिकाकर्ता एक विधवा है। वह केनरा बैंक, बैंगलोर (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) द्वारा चलाई जा रही नई नित्य निधि योजना के तहत एक एजेंट के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने के अधिकार का दावा करती है। बैंक द्वारा 17 मई 1991, 21 मई 1991 और 8 अगस्त 1991 (अनुलग्नक पी.4 पी.5 और पी.7) के आदेश पारित करके दावे को खारिज कर दिया गया है, वह सर्टिओरीरी रिट जारी करने के लिए प्रार्थना करती है। इन आदेशों को रद्द करने वाला परमादेश या कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश। कुछ तथ्यों पर गौर किया जा सकता है.

(2) याचिकाकर्ता के पति (श्री अजय कुमार साहा) नई नित्य निधि योजना के तहत एक एजेंट के रूप में बैंक में काम कर रहे थे। श्री साहा और बैंक के बीच 30 नवंबर 1983 को हुए समझौते की एक प्रति अनुबंध पी.1 के रूप में प्रस्तुत की गई है। समझौते की विभिन्न शर्तों का संदर्भ उचित चरण में दिया जाएगा। दुर्भाग्य से, श्री साहा की मृत्यु 1 अप्रैल 1991 को हो गई, उनकी मृत्यु पर याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए बैंक को एक आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन की एक प्रति अनुलग्नक पी2 के रूप में तैयार की गई है। ऐसा कहा जाता है कि उसने 17 मई, 1991 को एक और आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी.3 के रूप में प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता का दावा, 17 मई, 1991 और 21 मई, 1991 के पत्रों के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। बैंक द्वारा यह बताया गया कि “हमारे बैंक में सेवा के दौरान मरने वाले हमारे कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने के लिए अनुकंपा के आधार पर रोजगार की योजना विकसित की गई है। एनएनएनडी एजेंट हमारे कर्मचारी नहीं हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से 22 जून, 1991 को एक नोटिस भेजा, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी.6 के रूप में रिकॉर्ड में पेश की गई है। बैंक ने 8 अगस्त 1991 के पत्र के माध्यम से उत्तर भेजा। याचिकाकर्ता का दावा अस्थिर बताया गया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा भेजे गए नोटिस में, यहां तक कि मैंने प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी के लिए दावा भी किया है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने की बैंक की कार्रवाई से दुखी होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बैंक की कार्रवाई को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। यह दावा किया गया है कि बैंक एक उद्योग है और याचिकाकर्ता का पति एक कामकाजी आदमी था। यह भी दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के पति और बैंक के बीच हुए समझौते के अनुसार भी सेवा का अनुबंध था। अपने दावे के समर्थन में इंडियन बैंक, मद्रास बनाम पीओ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (सेंट्रल) मद्रास (1) के प्रबंधन में मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले में भरोसा रखा गया है।

(3) बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक के शपथ पत्र के माध्यम से एक लिखित बयान दायर किया गया है। प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से यह कहा गया है कि मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है जो याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका दायर करने का अधिकार दे सकता है। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता का दावा, वास्तव में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के प्रावधानों द्वारा वर्जित है, जिसमें "परिकल्पना की गई है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी रोजगार नहीं दे सकती है या किसी भी ऐसे व्यक्ति का रोजगार जारी रखें जिसका पारिश्रमिक कमीशन या कंपनी के लाभ में हिस्सेदारी के रूप में हो। अधिनियम की धारा 10(1)(बी)(ii) के प्रावधान का विशेष संदर्भ दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता का पति कभी भी बैंक का कर्मचारी या कर्मचारी नहीं था और इस प्रकार दावा पूरी तरह से अस्थिर है। इसके अलावा, उत्तरदाताओं का कहना है कि "रोजगार वंशानुगत नहीं है।" किसी भी घटना में, उत्तरदाताओं का कहना है कि पार्टियों

के बीच विवाद एक औद्योगिक विवाद है और उचित उपाय औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के समक्ष है। गुण-दोष के आधार पर भी याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 201 के तहत, एजेंट की मृत्यु पर एक एजेंसी को समाप्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता के ग्रेच्युटी के दावे के संबंध में यह कहा गया है कि उसका पति केवल एक एजेंट था और उसे कोई ग्रेच्युटी स्वीकार्य नहीं थी। इसके अलावा, अनुकंपा के आधार पर मामले से संबंधित स्टाफ मामलों पर हैंड-बुक का एक उद्धरण यह दिखाने के लिए तैयार किया गया है कि यह योजना "हमारे उन कर्मचारियों के आश्रितों की मदद करने के लिए विकसित की गई है जो सेवा के दौरान मर जाते हैं या स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, ताकि वे इस समस्या से उबर सकें।" आय का मुख्य स्रोत अचानक बंद हो जाने के कारण मृत कर्मचारियों के आश्रितों को तत्काल वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालाँकि, अनुकंपा के आधार पर रोजगार का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।" (जोर दिया गया)।

(4) याचिकाकर्ता ने याचिका में अपनाए गए रुख को दोहराते हुए एक प्रतिकृति दायर की है।

(5) मामला शुरू में 12 मार्च 1992 को सुनवाई के लिए आया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता एक विधवा है, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री अशोक जग्गा को अनुदान की संभावना तलाशने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता को एक एजेंसी। आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि "उम्मीद है कि मामले की परिस्थितियों में और विशेष रूप से इस तथ्य में कि याचिकाकर्ता एक युवा विधवा है, प्राधिकरण मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और सुनवाई की अगली तारीख से पहले आवश्यक कदम उठाएगा।" ।" इस आदेश के जवाब में, बैंक ने याचिकाकर्ता को इस शर्त पर एक एजेंसी देने की पेशकश की थी कि वह एक श्रमिक होने का दावा नहीं करेगी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री दिनेश कुमार इस शर्त को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दरअसल, उन्होंने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता एक श्रमिक के रूप में अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। फलस्वरूप मामले की सुनवाई एवं निर्णय करना आवश्यक हो गया।

(6) श्री दिनेश कुमार ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता का पति बैंक का कर्मचारी था और इसलिए, बैंक द्वारा जारी निर्देशों के तहत, वह एक एजेंट के रूप में नियोजित होने की हकदार थी। दूसरी ओर, श्री अशोक जग्गा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का दावा पूरी तरह से अस्थिर था। उन्होंने उत्तरदाताओं की ओर से दायर लिखित बयान में की गई विभिन्न दलीलों को दोहराया।

(7) क्या याचिकाकर्ता का पति बैंक का कर्मचारी था। यह रिश्ता एक समझौते के साथ शुरू हुआ है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा अनुबंध पी.1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस समझौते के द्वारा "बैंक और एजेंट के बीच प्रिंसिपल और एजेंट के न्यायिक संबंध को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें" दर्ज की गईं। इस एजेंसी को समझौते के निष्पादन की तारीख से शुरू करना था और बैंक द्वारा अपने विवेक पर अन्यथा समाप्त होने तक इसे लागू रहना था। विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख करने के अलावा, जिसके तहत एजेंसी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, यह कहा गया था कि “बैंक अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के एजेंसी को समाप्त कर सकता है; बिना कोई कारण बताए और एजेंट किसी भी तरीके से ऐसी समाप्ति पर सवाल उठाने का हकदार नहीं होगा। यह भी प्रावधान किया गया था कि बैंक एजेंट को समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दर/रेटेड पर कमीशन का भुगतान करेगा। एजेंट प्रतिपूर्ति, पारिश्रमिक, मानदेय, भत्ते, या अन्यथा, या

किसी भी अन्य प्रकार के लाभ के माध्यम से किसी अन्य राशि का दावा करने का हकदार नहीं होगा। यह भी तय किया गया था कि एजेंट को "राशि एकत्र करने के लिए अपने स्वयं के काम के घंटे होंगे और बैंक को एनएनएनडी एजेंट के काम करने के तरीके को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सीमा तक कि जमा राशि एकत्र की जाए समय-समय पर उचित दोषमुक्ति पर हैं।" अंत में, यह भी प्रदान किया गया कि "एजेंट को अपनी लागत पर परिवहन या अन्य वाहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी और एजेंट को किसी भी तरह से बैंक के सामान्य अनुशासन के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि लागू हो बैंक के एक कर्मचारी को।"

(8) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एजेंट को हर दिन एक निश्चित समय पर कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करानी पड़ी. वह निश्चित समय तक कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं थे। कार्य करने के तरीके के संबंध में वह बैंक के नियंत्रण और निर्देश के अधीन नहीं था। वह किसी निश्चित वेतन का हकदार नहीं था। एजेंसी को किसी भी समय बिना किसी नोटिस या कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। एजेंट किसी नोटिस का हकदार नहीं था और न ही बैंक किसी कानूनी औचित्य का खुलासा करने के लिए बाध्य था। वास्तव में, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी पर जो अनुशासनात्मक नियंत्रण रखता है, वह पूरी तरह से अनुपस्थित था। समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि एजेंट को "किसी भी तरह से खुद को बैंक के सामान्य अनुशासन के अधीन करने की आवश्यकता नहीं है..." इस स्थिति में, यह स्पष्ट प्रतीत होता है जैसा कि समझौते में ही दर्ज किया गया है, कि वहाँ था बैंक और याचिकाकर्ता के पति के बीच केवल "प्रिंसिपल और एजेंट का न्यायिक संबंध" है। वह कोई कर्मचारी नहीं था. वह काम करने वाला नहीं था. यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का पति कमीशन एजेंट के रूप में कार्यरत था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह 'रोजगार' था। इस प्रकार वह कर्मचारी नहीं था।

(9) किसी भी घटना में, यह प्रश्न कि क्या पार्टियों के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध मौजूद है, कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है। यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उचित रूप से तय किया जा सकता है। पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह मानना असंभव प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का पति बैंक का कर्मचारी था।

(10) श्री दिनेश कुमार ने इंडियन बैंक प्रबंधन बनाम पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मद्रास (सुप्रा) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें इंडियन बैंक के प्रबंधन ने श्रम न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। यह एक तथ्य के रूप में पाया गया कि “एजेंट को पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था। एजेंट को प्रतिदिन बैंक में उपस्थित होना पड़ता था और कुछ लिपिकीय कार्य भी करने पड़ते थे। समझौते में एक महीने के नोटिस पर एजेंसी को समाप्त करने का प्रावधान था जिससे पता चला कि यह सेवा का अनुबंध था। समझौते के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि बैंक को समय-समय पर अपने द्वारा निर्धारित दर पर एजेंट को कमीशन देना पड़ता था। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जिन कारकों ने मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच को यह मानने के लिए राजी किया कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध था और एजेंट एक श्रमिक था, वर्तमान मामले में मौजूद नहीं हैं। मजदूरी की कोई निश्चित दर नहीं है। मेरे विचार में, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन करना असंभव नहीं तो बहुत कठिन होगा। न ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के प्रावधानों को नज़रअंदाज करना संभव

है, जो बैंक को किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियोजित करने से रोकता है जिसका पारिश्रमिक या पारिश्रमिक का कुछ हिस्सा कमीशन का रूप लेता है। या कंपनी के लाभ में हिस्सेदारी का।" इस प्रकार यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता का पति बैंक का कर्मचारी नहीं था।

(11) इस निष्कर्ष की पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता के दावे की जांच की जानी चाहिए जैसा कि इस याचिका में किया गया है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार संबंधी प्रावधान बैंक द्वारा स्टाफ मामलों पर तैयार की गई हैंड-बुक में शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रासंगिक उद्धरण की एक प्रति अनुबंध आर.1 के रूप में तैयार की गई है। यह योजना "हमारे कर्मचारियों के आश्रितों की मदद के लिए विकसित की गई है..." चूंकि याचिकाकर्ता का पति बैंक का कर्मचारी नहीं था, इसलिए वह अनुकंपा के आधार पर रोजगार का दावा करने के लिए योग्य नहीं है। अन्यथा भी, योजना यह भी प्रदान करती है कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार को "अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।" इस प्रकार यह केवल एक रियायत है। रिट कोर्ट नियोक्ता को किसी व्यक्ति को रियायत देने का आदेश देने वाला परमादेश जारी नहीं कर सकता है। अधिकार का अस्तित्व एक आवश्यक पूर्व शर्त है। मौजूदा मामले में यह पूरी तरह से अनुपस्थित है। इसके अलावा, इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रत्येक नागरिक को अवसर का अधिकार है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के निर्देशों को सख्ती से समझा जाना चाहिए ताकि अनुच्छेद 16 के उल्लंघन की किसी भी आलोचना से बचा जा सके। ऐसे देश में जहां गरीबी और बेरोजगारी के कारण जमीन का भंडार है, यहां तक कि इनाम और रियायत भी इस तरह से दी जानी चाहिए कि वे संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करने के कारण आलोचना को आकर्षित नहीं करते हैं। दुर्लभतम मामलों में करुणा का आह्वान करना पड़ता है। प्रयास केवल यह सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए कि परिवार जीवित रह सके, न कि यह कि सार्वजनिक सेवा में पदों को वंशानुगत माना जाए और मूल कर्मचारी की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी या आश्रित को स्वचालित रूप से महिला या किसी अन्य पर नियोजित किया जाए। समकक्ष पद. अन्यथा, मुझे डर है, यदि किसी रियायत को अधिकार समझा जाता है, तो वह भेदभाव के कृत्य में बदल जाएगी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के क्रोध को आकर्षित करेगी। नतीजतन, नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाले आदेशों को रद्द करने या प्रतिवादी - बैंक को उसे नियुक्त करने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी करने के लिए की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(12) हालांकि, विद्वान वकील ने ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया, लेकिन यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पति और बैंक के बीच हुए समझौते में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि "एजेंट किसी भी प्रकार की अन्य राशि या लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा। तदनुसार, ग्रेच्युटी का दावा भी कायम नहीं रह सकता।

(13) इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि एजेंट और बैंक के बीच का संबंध मालिक और नौकर या नियोक्ता और कर्मचारी का नहीं है, बल्कि केवल प्रिंसिपल और एजेंट का है, यह मानना असंभव है कि एजेंट एक कर्मचारी है। नतीजतन, यह याचिका पूरी तरह से योग्यता से रहित है। इसे खारिज किया जाता है।

(14) जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, बैंक ने याचिकाकर्ता को एक एजेंसी देने की पेशकश की थी यदि वह यह वचन देती है कि वह एक श्रमिक की स्थिति का दावा नहीं करेगी। याचिकाकर्ता का दावा मेरे द्वारा खारिज कर दिया गया है. इस स्थिति को देखते हुए, यदि वह अब बैंक में आवेदन करती है और यह वचन देती है कि वह एक श्रमिक होने का दावा नहीं करेगी, तो यह आशा है कि

बैंक उसके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और उन कठिनाइयों को कम करेगा जिनका उसे निस्संदेह सामना करना पड़ सकता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रशमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरूग्राम, हरियाणा